20 Rs. COURT FEE बीस रुपये TWENTY RUP 5 रु. पाँच रुपये FIVE RUP 5 रु. Rs.5 INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

विलोपित विलोपित विलोपित

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

निग-2673-I-16

प्र0क0 R ....I/16 निगरानी

श्री श्रीकृष्ण शर्मा अभिभाषक
द्वारा आज दि. 8/8/16 को
प्रस्तुत
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

रामभजन रावत(पत्रकार) एवं ब्यूरोचीफ राष्टीय गरिमा कार्यालय फरहत लॉज कमरा नं0 4 शिवपुरी रोड श्योपुर तह0 व जिला श्योपुर म0प्र0..............................आवेदक

बनाम

(1) दिनेश भटजीवाले पुत्र श्री दिगम्बर राव भटजी वाले निवासी पण्डित पाडा श्योपुर तह0 व जिला श्योपुर म0प्र0
(2) म॰ प्र॰ शासन
..........................अनावेदक

निगरानी आदेश विरूद्व आदेश दिनांक 15/06/2016

न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय

श्योपुर के प्र0क0 96/15-16 ×वी/121 अन्तर्गत

धारा 50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959

श्रीमान जी,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्नलिखित प्रस्तुत है –

1– यह कि पटवारी मौजा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की कि कस्वा श्योपुर में स्थित कृषि भूमि सर्वे क0 728/1 रकवा 01 वीघा 12 विश्वा, सर्वे क0 728/2 रकवा 2 वीघा 1 विश्वा, सर्वे क0 834/1 रकवा 9 विश्वा एवं सर्वे क0 821/1 रकवा 1 वीघा 3 विश्वा कुल किता 4 कुल रकवा 5 वीघा 5 विश्वा जो अभिलेख में मन्दिर श्री गोवर्धननाथ जी पुख्ता प्रबन्धक कलेक्टर श्योपुर बॉके हेहाजा एहतमाम दर्ज है। किन्तु अनावेदक दिनेश भटजीवाले पुत्र दिगम्बर भट जी वाले द्वारा बिना अनुमति के श्रीनाथ पैलिस के नाम से मैरिज गार्डन संचालित कर लिया गया है।

2– यह कि इसी के सम्बन्ध में जितेन्द्र सक्सैना स्वतंत्र पत्रकार द्वारा भी शिकायत की गई थी कि नगर श्योपुर के मुख्य मार्ग पुल दरवाजा के पास धार्मिक व धर्मस्व माफी औकाफ विभाग की कृषि भूमि भगवान श्री गोवर्धन नाथ जी की सेवा पूजा के लिये संरक्षित की गई थी। जिसका प्रबन्धक कलेक्टर अधिकृत किए गये थे। जिसे खुर्द बुर्द किया जा रहा है।

3– यह कि उक्त शिकायत पर से अनुविभागीय अधिकारी महोदय श्योपुर द्वारा प्र0 क0 19/15-16× वी/121 पर पंजीबद्व किया जाकर पारित आदेश दिनांक

R. 2673/I/16 श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के
17-8-16	यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर के प्र0क0 98/2015-16 बी-121 में पारित आदेश दिनांक 15-6-16 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ निगरानी की ग्राह्यता पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर ने मूल न्यायालय की हैसियत से आदेश दिनॉक 15-6-16 पारित किया है जिसके विरूद्ध आवेदक को सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने का उपचार प्राप्त है। आवेदक चाहे - सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर सकता है। अतः निगरानी इसी स्तर पर निरस्त की जाती है। इस आदेश की एक प्रति अनुविभागीय अधिकारी,श्योपुर को भेजी जावे। सदस्य	
R 15		